कलेक्टिव एक्षन फॉर कम्युनिटी एम्पॉवरमेंट परियोजना
Collective Action for Community Empowerment [CACE]
डी.एफ.आई.डी. द्वारा पोषित पैक्स कार्यक्रम के अर्न्तगत संचालित

डिपार्टमेंट फॉर इन्टरनेषनल डेव्हलपमेंट (यू. के.) के सहयोग से संचालित पैक्स कार्यक्रम के अन्तर्गत 01/04/2004 से 31/03/2007 तक के लिये तीन वर्षों का अनुबंध संस्था द्वारा मार्च 2004 में किया गया। तथा 4 संस्थाओं के नेटवर्क से संचालित परियोजना '' कलेक्टिव एक्षन फॉर कम्युनिटी एम्पॉवरमेंट '' (CACE) का प्रारंभ 01/04/2004 से परसवाड़ा विकासखण्ड की 06 ग्राम पंचायतों व बैहर विकास खण्ड की 06 ग्राम पंचायतों (जिला बालाघाट) में प्रारंभ किया गया, परियोजना की वर्ष की गतिविधियों का विस्तृत प्रगति प्रतिवेदन निम्नानुसार है :

परियोजना क्या है

परियोजना का नाम – ''सामुदायिक सषक्तिकरण हेतु सामुहिक प्रयास''
''Collective Action for Community Empowerment'' (CACE)

सहभागी संस्थाऍं :

1. कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर, बालाघाट
2. ग्रामीण विकास मण्डल, भीकेवाड़ा
3. श्री महावीर षिक्षा एवं जनकल्याण समिति, हट्टा
4. नवजीवन समाज विकास समिति, उकवा

परियोजना क्षेत्र :

जिला	विकासखण्ड	पंचायत संख्या	गॉव संख्या	परियोजना कियांवयन में सहभागी संस्थाएं
बालाघाट	बैहर	6	20	कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर, बालाघाट एवं श्री महावीर षिक्षा एवं जनकल्याण समिति, हट्टा
	परसवाडा	6	19	ग्रामीण विकास मण्डल, भीकेवाड़ा एवं नवजीवन समाज विकास समिति, उकवा

परियोजना के उद्देष्य :

1 महिलाओं में सामुहिक क्षमता को बढ़ाकर उनकी तथा उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

2 महिलाओं की जागरूकता में वृद्धि करना।

3 सहभागी संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि करना।

परियोजना की गतिविधियॉ :

- परियोजना क्षेत्र का अध्ययन (गरीबी एवं ऋणग्रस्तता)
- अध्ययन भ्रमण
- स्वयं सहायता समूहों का गठन
- भ्रमण (स्वयं सहायता समूह सदस्य)
- स्मूहों का सषक्तिकरण (बैठक, बचत, रिवाल्विंग फण्ड)

अपेक्षित परिणाम :

- ✓ परियोजना क्षेत्र में आजीविका और ऋणग्रस्तता के स्तर का विस्तृत अध्ययन
- ✓ महिलाओं की जागरूकता के स्तर में वृद्धि
- ✓ महिलाओं के आत्मविष्वास में वृद्धि
- ✓ पारिवारिक आय में वृद्धि के फलस्वरूप आजीविका के स्तर में सुधार
- ✓ 120 स्वयं सहायता समूहों का गठन तथा समूहों में स्थायित्व
- ✓ बेहतर कुषलता के साथ कार्य करने वाली सहयोगी संस्थाओं का समूह

कार्ययोजना : (Plan Implementation Plan)

Activities	Year - I				Year - II				Year - III			
	Q - I	Q - II	Q - III	Q - IV	Q - I	Q - II	Q – III	Q - IV	Q - I	Q - II	Q - III	Q - IV
Study	▮											
Exposure Visit (C.F.)	▮											
Staff Orientation		▮			▮							
SHG Formation		▮	▮	▮								
Exposure Visit (SHG)				▮	▮							
Monthly Meeting	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮
Revolving Fund SHG				▮	▮							
Capacity Building SHG	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮

परियोजना बजट : (BUDGET)

Half Yearly Activitywise Budget for the Project							
							1st March 2004 to 31st March 2007
Activities	**HY1**	**HY 2**	**HY 3**	**HY 4**	**HY 5**	**HY 6**	**TOTAL**
PROJECT ACTIVTIES							
Baseline study	25000						25000
Exposure to chief functionary	12000						12000
SHG training for staff	16600						16600
Follow up SHG training			12080				12080
Exposure to SHG women		16000	16000				32000
Revolving Fund		80000	160000				240000
Stationary for SHG		36000					36000
Reviewing meeting	2400	2400	2400	2400	2400	2400	14400
Animator Honorarium	36000	72000	72000	72000	72000	72000	396000
Sub Total	**92000**	**206400**	**262480**	**74400**	**74400**	**74400**	**784080**
ADMINISTRATIVE EXPENSES							
Coordinator Honorarium	84000	84000	84000	84000	84000	84000	504000
Accountant Honorarium	15000	15000	15000	15000	15000	15000	90000
Sub Total	**99000**	**99000**	**99000**	**99000**	**99000**	**99000**	**594000**
RECURRING EXPENSES							
Stationary	9600	9600	9600	9600	9600	9600	57600
Communication	9600	9600	9600	9600	9600	9600	57600
Travelling Alowance	24000	24000	24000	24000	24000	24000	144000
Audit fee		4000		4000		4000	12000
Sub Total	**43200**	**47200**	**43200**	**47200**	**43200**	**47200**	**271200**
Grand Total	**234200**	**352600**	**404680**	**220600**	**216600**	**220600**	**1649280**

कार्यक्षेत्र विवरण :

सहभागी संस्था का नाम	क्रमांक	पंचायत	गॉव के नाम
कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर बालाघाट	1	मेंडकी	देबरबेली, चारटोला, ठाकुरटोला
	2	करवाही	बरवाही, सरेखा, बैगाटोला
	3	परसाटोला	गोगाटोला, रामाटोला,परसाटोला
श्री महावीर षिक्षा एवं जनकल्याण समिति, हट्टा	4	जत्ता	जत्ता, जत्ताटोला, बैगाटोला
	5	किनारदा	जामटोला, पटपरी, सरईटोला
	6	शेरपार/भंडेरी	भंडेरी, शेरपार
नवजीवन समाज विकास समिति, उकवा	7	जगनटोला	जगनटोला, घोंदी
	8	गुदमा	कौंदुल, पिंडकेपार, ठाकुरटोला
	9	रूपझर	शिकारीटोला, उमरिया, बैगाटोला
ग्रामीण विकास मण्डल, भीकेवाड़ा	10	बड़गॉव	बड़गॉव,
	11	घोड़ादेही	घोड़ादेही, लोटमारा, कान्हाटोला
	12	सुकड़ी	खापा, खर्रा, सुकड़ी

परियोजना स्टॉफ विवरण :

- परियोजना का क्रियान्वयन 1 अप्रेल 2004 से प्रारंभ किया गया जिसमें सभी संस्थाओं के लिये समन्वयक की नियुक्ति का प्रावधान था अतः प्रथम तिमाही में केवल समन्वयक की नियुक्ति की गयी इस तरह सभी संस्थाओं के संस्था प्रमुख ने समन्वयक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया।
- परियोजना में लेखापाल की नियुक्ति भी 1 अप्रेल 2004 से की गयी।
- ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ता अर्थात एनीमेटर की नियुक्ति 1 जुलाई 2004 से की गयी।

इस तरह नीचे दिये गये स्टाफ के साथ परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया।

सहभागी संस्था का नाम	कमांक	कार्यकर्ता का नाम	पद
कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर बालाघाट	1	अमीन चार्ल्स	**परियोजना समन्वयक**
	2	विक्टर मसीह	लेखापाल
	3	आशा जगने	एनीमेटर
	4	माया राहंगडाले	एनीमेटर
	5	छाया राहांगडाले	एनीमेटर
श्री महावीर षिक्षा एवं जनकल्याण समिति, हट्टा	6	सुरेष कसार	**समन्वयक**
	7	नासिर खान	एनीमेटर
	8	रेखा बघेल	एनीमेटर
	9	शैफाली सिंह	एनीमेटर
नवजीवन समाज विकास समिति, उकवा	10	उत्कल नंदा	**समन्वयक**
	11	कला पटले	एनीमेटर
	12	कान्ता गिरी	एनीमेटर
	13	चैनवती उइके	एनीमेटर
ग्रामीण विकास मण्डल, भीकेवाड़ा	14	गुलाब शरणागत	**समन्वयक**
	15	पारस कटरे	एनीमेटर
	16	जमुना कुमरे	एनीमेटर
	17	योगेष्वरी ठाकरे	एनीमेटर

परियोजना क्रियान्वयन नियोजन व प्रक्रिया

किसी भी तरह की परियोजना का क्रियान्वयन करने का पूर्व अनुभव तीन सहयोगी संस्थाओं को नहीं था सी.डी.सी. केयर इंडिया की एकीकृत पोषण एवं स्वास्थ्य परियोजना का क्रियान्वयन वर्ष 2001 से कर रही थी। अतः सभी के लिये यह पहला अनुभव था जिसमें करो और सीखो की स्थिति बनती है साथ ही सहभागी संस्थाओं ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और कार्य के साथ साथ संस्थागत क्षमता वृद्धि भी परियोजना का प्रमुख हस्तक्षेप है।

सहभागी संस्थाएं, परियोजना प्रबंधन और जवाबदेही

चूंकि परियोजना नेटवर्क के रूप में स्वीकृत है और परियोजना में चार सहभागी संस्थाएं हैं, सहभागी संस्थाओं की अपनी अपनी क्षमता और कमियॉ है जैसे दो सहभागी संस्थाएं (GVM, SMSEJKS) एफ.सी.आर.ए. के तहत पंजीकृत थी और दो संस्थाओं (CDC, Navjivan) इसके तहत पंजीकृत नहीं थी, चार संस्थाओं के पास इस तरह की परियोजना क्रियान्वयन व प्रबंधन का अनुभव नहीं था तो एक संस्था का अनुभव और क्रियांवयन के लिये क्षमतावान समूह था। अतः निर्णय लिया गया कि परियोजना ग्रामीण विकास मंडल के नाम से ली जावेगी जिसमें अनुबंध पत्र पर जी.व्ही.एम. की ओर से श्री अमीन चार्ल्स द्वारा हस्ताक्षर किया जावेगा साक्षी के रूप में श्री महावीर शिक्षा और जनकल्याण समिति की ओर से सचिव श्री सुरेश कसार हस्ताक्षर करेंगे, जिसके लिये आवश्यक व्यवस्था जी.व्ही.एम. की ओर से की गयी। वित्तीय प्रबंधन हेतु सभी व्यय जी.व्ही.एम. के नाम से होगे किसी संस्था को परियोजना के लिये

धनराशि उस संस्था के नाम से प्राप्त नहीं होगी पर सभी गतिविधियॉ समान रूप से सभी प्रतिभागी संस्थाओं के लिये आयोजित की जावेंगी। परियोजना का क्रियांवयन परियोजना समन्वयक के रूप में श्री अमीन चार्ल्स के मार्गदर्शन में किया जावेगा और बाकी सभी संस्थाओं के संबंधित प्रमुख व्यक्ति अपनी संस्था के लिये समन्वयक के रूप में परियोजना के तहत कार्य करेंगे।

आंतरिक संस्थागत अनुबंध

परियोजना कियांवयन के दौरान किसी भी तरह के विवाद और ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिये चारों सहभागी संस्थाओं ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है जिसमें प्रमुख रूप से बल दिया गया है कि विवाद का हल चारों संस्थाओं के बीच बातचीत से ही निकाला जावेगा और परियोजना क्रियांवयन के लिये बनाये गये नियमों का पालन किया जावेगा। परियोजना का गुणवत्तापूर्ण क्रियांवयन के लिये सभी संस्थाएं और संबंधित व्यक्ति जवाबदेह होंगे।

परियोजना कार्यालय

परियोजना का कार्यालय बालाघाट में होगा और सभी संस्थाएं व्यक्तिगत रूप से इसके प्रबंधन के लिये सहयोग करेंगी क्योंकि परियोजना में इसका कोई प्रावधान नहीं है अतः बालाघाट भटेरा चौकी में कार्यालय स्थापित किया गया और कुछ व्यवस्थाएं जुटायी गयीं।

परियोजना क्रियान्वयन

1 अपेल 2004 से परियोजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया जिसमें परियोजना क्रियान्वयन नियोजन के तहत कार्य प्रारंभ किये गये।

सहभागी संस्थाओं की परियोजना क्रियान्वयन और प्रबंधन नीति

परियोजना में सहभागी संस्थाओं ने सामूहिक रणनीति के साथ साथ संस्थागत स्तर पर अपनी अपनी क्रियान्वयन और परियोजना प्रबंधन की नीति अपनायी और कार्य प्रारंभ किया।

नवजीवन समाज विकास समिति उकवा : संस्था कार्यक्षेत्र परसवाडा विकासखंड में है और संस्था कार्यालय से परियोजना क्षेत्र लगा हुआ है अतः मुख्य कार्यालय से ही परियोजना का क्रियांवयन किया जा रहा है। संस्था ने परियोजना क्षेत्र में निवासरत तीन महिलाओं को कार्यकर्त्ता के रूप में चयनित किया।
ग्रामीण विकास मंडल भीकेवाडा : संस्था के पंजीकृत कार्यालय आसपास के गॉवों को परियोजना के तहत चयनित किया गया है जो कि परसवाडा विकासखंड में आते हैं ग्राम लोटमारा जो कि परियोजना क्षेत्र है इस गॉव में संस्था ने अपना परियोजना कार्यालय बनाया है परियोजना में कार्यरत कार्यकर्त्ता भी पास के गॉव या परियोजना क्षेत्र के गॉव से ही हैं। संस्था ने परियोजना में दो महिला और एक पुरूष कार्यकर्त्ता के साथ कार्य प्रारंभ किया।

महावीर शिक्षा एवं जनकल्याण समिति, हटटा : संस्था ने अपना कार्यक्षेत्र बैहर विकासखंड में चुना और इसके लिये आवश्यक व्यवस्था **कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर** के साथ मिलकर बनायी गयी चूंकि **सी.डी.सी.** का पेक्स परियोजना के लिये कार्यक्षेत्र बैहर विकासखंड में ही है और दोनों संस्थाओं के परियोजना क्षेत्र एक क्लस्टर के रूप में हैं। दोनों संस्थाओं ने तय किया कि कार्यकर्त्ता एक साथ एक ही गॉव में रहें, परियोजना के लिये क्षेत्रीय कार्यालय ग्राम भंडेरी में बनाया गया जो कि परियोजना क्षेत्र के बीच में स्थित है इसी गॉव में दोनों संस्था के भी कार्यकर्त्ता रहते हैं। सी.डी.सी. की अन्य परियोजना में कार्यरत कार्यकर्त्ताओं को इस परियोजना में कार्य का अवसर दिया गया और बेहतर तथा लगन से कार्य करने

वाले कार्यकर्त्ताओं का चयन किया गया। कार्यकर्त्ता परियोजना क्षेत्र के नहीं हैं पर पास के गॉवों से ही हैं। महावीर शिक्षा एवं जनकल्याण समिति में दो महिला और एक पुरूष कार्यकर्त्ता को लिया गया जबकि सी.डी.सी. में तीन महिला कार्यकर्त्ता को लिया गया।

परियोजना कियान्वयन ढांचा

PROJECT [CACE] IMPLEMENTATION STRUCTURE

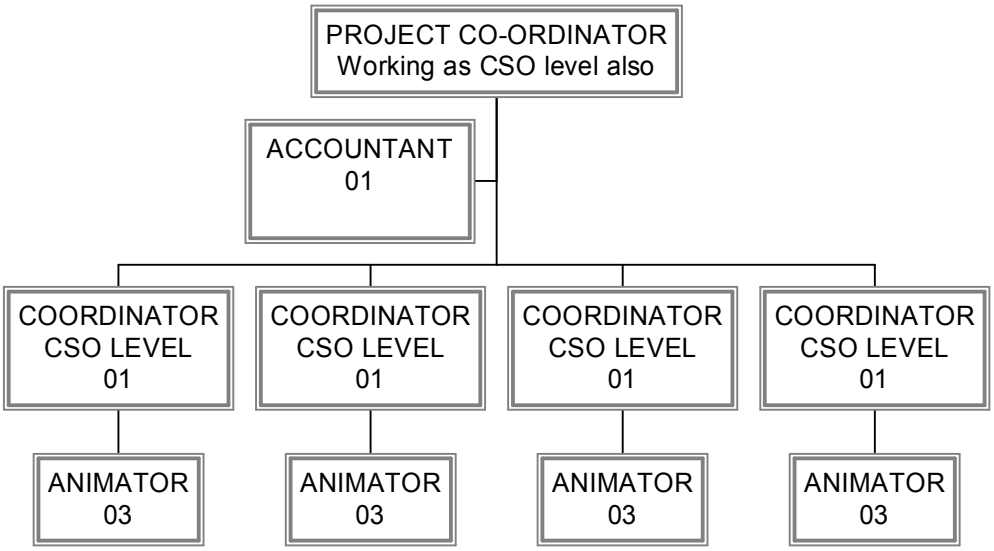

ऋण ग्रस्तता एवं आजीविका अध्ययन

परियोजना के लिये विस्तृत रणनीति तय करने के लिये यह आवश्यक था कि यह समझा जावे कि परियोजना क्षेत्र में वास्तविक स्थिति क्या है और कैसे काम किया जा सकता है अतः परियोजना क्षेत्र में ''ऋण ग्रस्तता और आजीविका की वर्तमान स्थिति पर अध्ययन'' किया गया। इस अध्ययन के लिये दो संदर्भ व्यक्तियों से परियोजना के तहत सहयोग लिया गया, डा. अर्चना सिंग और डा. प्रदीप बोस के साथ परियोजना क्षेत्र के परसवाडा विकासखंड के गुदमा पंचायत में भ्रमण कर समुदाय से बातचीत की गयी और फिर तय किया गया कि अध्ययन के लिये तीन स्तरों पर कार्य किया जावेगा।

- ❖ साक्षात्कार
- ❖ सर्वेक्षण और
- ❖ आंकडों का संग्रहण

इन प्रक्रियाओं के तहत कार्य के लिये प्रपत्रों का विकास किया गया जिनका उपयोग कर अध्ययन के लिये सामग्री एकत्र की गयी।

- ❑ प्रपत्र–1 ग्राम अध्ययन (संलग्नक क. 01)
- ❑ प्रपत्र–2 परिवार अध्ययन प्रपत्र (संलग्नक क. 02)
- ❑ Secondary Data collection form (संलग्नक क. 03)
- ❑ Wealth ranking process (संलग्नक क. 04)

पारिवारिक अध्ययन के लिये परिवारों का चयन निम्न आधार पर किया गया

- 1 एकड से कम भूमि वाले परिवार : 5 परिवार
- 1 से अधिक और 5 एकड भूमि वाले परिवार : 3 परिवार
- 5 एकड से अधिक भूमि वाले परिवार : 2 परिवार

इस तरह चार गॉवों से 40 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और उन गॉवों की ग्राम जानकारी ग्राम अध्ययन प्रपत्र में एकत्रित की गयी साथ ही क्षेत्र में उपलब्ध वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, सहकारी संस्थाएं आदि से भी जानकारी संकलित की गयी इसके अलावा ग्रामों में वेल्थ रैंकिंग (संसाधन आंकलन) किया गया इस तरह संकलित आंकडों के विश्लेषण के लिये संदर्भ व्यक्तियों को सौंपा गया। इस अध्ययन में निम्नलिखित चार गॉवों कों शामिल किया गया।

इस अध्ययन से निकली बातों को परियोजना स्टॉफ के साथ बॉटने के लिये 21 और 22 अगस्त 2004 को परियोजना में सहभागी संस्था **नवजीवन समाज विकास समिति** उकवा के कार्यालय दो दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक को डा. अर्चना सिंग और श्री समीर ने संचालित किया जिसमें क्षेत्र की परिस्थिति जिसमें आजीविका और ऋणग्रस्तता पर समझ बनायी गयी, साथ ही तय किया गया कि आगे स्वयं सहायता समूहों पर कार्य करके आजीविका की सुनिश्चितता पर प्रारंभिक कार्य किये जा सकते हैं।

उपलब्धि : इस अध्ययन से कार्य के लिये प्राथमिक रूप से कुछ स्पष्टता बनी कि किन मुद्दों पर कार्य आवश्यक है साथ ही एक दस्तावेज के रूप में अध्ययन रिर्पोट सभी संस्थाओं के पास है जिनका कि प्रयोग आगे किया जा सकता है।

कमियॉ : अध्ययनकर्त्ताओं की उपलब्धता क्षेत्र में कम रही, मुख्य रूप से आंकडों के विश्लेषण में अध्ययनकर्त्ताओं ने अधिक रूचि ली यदि क्षेत्र में उपस्थित रहकर कुछ आंकडों का संग्रहण स्वयं अध्ययनकर्त्ता करते तो अध्ययन और अधिक उपयोगी होता, साथ ही सहयोगी संस्थाओं ने आंकडों के संग्रहण में गंभीरता नहीं दर्शायी।

कार्यकर्त्ताओं की क्षमतावृद्धि एवं उन्मुखीकरण

परियोजना में ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति परियोजना के अनुसार जुलाई 2004 से की गयी, इसके पूर्व दिनॉक 15 से 16 जून 2004 तक होटल हीरावत बालाघाट में परियोजना स्टॉफ अभिमुखीकरण कार्यषाला का आयेजन किया गया जिसमें संदर्भ व्यक्ति के रूप में पेक्स के म.प्र. व छ.ग. के लिये एस.एस.आर.ओ. [Supporting Supervision Resource Organization] **समावेश** भोपाल से श्री अनवर जाफरी व श्री रंजन उपस्थित रहे। दो दिवसीय कार्यशाला में निम्न मुददों पर बातचीत की गयी और परियोजना पर समझ बनायी गयी।

- परियोजना के संचालन में एनिमेटर की भूमिका,
- दस्तावेजीकरण,
- रिपोर्ट लेखन,
- समुदाय के साथ संबंध बनाना,
- ग्रामीण सर्वेक्षण क्यों आवश्यक है आदि।

स्वयं सहायता समूह गठन और प्रबंधन

परियोजना में प्रमुख गतिविधि है स्वयं सहायता समूह का गठन और प्रबंधन तथा इसी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। अतः दिनांक 25 से 28 जुलाई 04 तक होटल हीरावत बालाघाट में **स्वंय सहायता समूह गठन एवं प्रबंधन** विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। संदर्भ व्यक्ति के रूप में परियोजना समन्वयक श्री अमीन चार्ल्स ने कार्यशाला का संचालन किया जिसमें प्रतिभागी संस्थाओं के संस्था प्रमुखों ने भी कुछ सत्रों का संचालन किया। इसके अलावा कुछ अन्य संदर्भ व्यक्तियों को भी स्रोत व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किया गया। इस कार्यशाला में निम्न विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गयी और परियोजना क्रियान्वयन के लिये रणनीति तैयार की गयी।

- बचत क्या है ?
- बचत का अर्थ, उद्देष्य
- ग्रामीण आर्थिक परिस्थिती
- बचत के लाभ,
- ग्रामीण आय – व्यय पद्धति,
- साहुकारों की भूमिका,
- स्वयं सहायता समूह क्यों और कैसे?
- समुहों का गठन और प्रबंधन,
- दस्तावेजीकरण

इस कार्यशाला के लिये एक स्वयं सहायता समूह पर मार्गदर्शिका तैयार की गयी जिसकी एक एक प्रति सभी कार्यकत्ताओं और संस्थाओं को उपलब्ध करायी गयी।

अन्य क्षमतावृद्धि कार्यक्रम

परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिये आवश्यक था कि परियोजना स्टाफ की क्षमताओं में वृद्धि की जावे जिससे अन्य विषयों पर भी कार्यकर्त्ता दक्ष हों और विभिन्न विषयों को अपने कार्य में समाहित कर सकें। संस्थाओं की ओर से सतत प्रयास किया गया और पूरे वर्ष में कार्यकर्त्ताओं को बेहतर अवसर उपलब्ध करायें गये।

पेक्स परियोजना द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभागिता

पेक्स परियोजना की ओर से क्षमतावृद्धि के काफी कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ जिसमें संस्था के सभी स्तर के व्यक्तियों ने भाग लिया, इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने से संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमता बढ़ी जिससे कार्यों में गुणात्मक सुधार स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

Date	Place	Program	Participants
16-18 March 2004	Chhindwara	Peer Learning Workshop	Ameen Charles Asha Jagne Gulab Sharnagat Yogeshwari Utkal Nanda Neha Dharkar
	New Delhi	National Advocacy Seminar	Ameen Charles
24 -27 May	Tara Gram	Project Management Workshop	Ameen Charles Gulab Sharnagat
October	Tara Gram	Trg. on Human Resource Management	Ameen Charles Yogeshwari
1-5 Nov.	Tara Gram	Trg. on Leadership	Maya Rahangdale
December	Lakhnow [SSK]	Trg. on Account Management	Victor Masih Suresh Kasar Paras Katre Aseem Manohar Sushil Kasar Om Prakash Utkal Nanda
15 - 17 Sept. 2005	Rajnandgaon	Peer Learning Workshop	Ameen Charles Suresh Kasar Asha Jagne Gulab Sharnagat Utkal Nanda
09-11 March 05	Betul	Peer Learning Workshop	Ameen Charles Suresh Kasar Gulab Sharnagat Utkal Nanda

अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित क्षमतावृद्धि कार्यक्रमों में प्रतिभागिता

सभी संस्थाओं के कार्यकत्ताओं को पेक्स के अलावा भी क्षमतावृद्धि कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण, अभियान, सम्मेलन में उपस्थिति से ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ताओं में कार्य के प्रति उत्साह और शिक्षा दोनों प्राप्त होती है। अलग अलग विषयों पर क्षमतावृद्धि के अवसर प्राप्त हुए जो कि संस्थागत क्षमता में वृद्धि को दर्शाती है।

Community Development Centre [CDC]		
Organized by	**Program**	**Participants**
MPVHA	Health Worker Convention	Chhaya Asha Nasir
MPVHA	Trg. on Adolescent Health and Sexuality	Nasir Khan
Sangini	Kamoshi todo Abhiyan	Chhaya
Sangini	Trg. on Gender and Women	Chhaya
Sopan	Tribal Self Rule	Ameen
Oxfam	Tribal Self Rule	Nasir Khan
Samarthan	Trg. on Panchayat Raj	Nasir Khan Maya Rahangdale
Chetna	Trg. on Child Rights	Ameen Charles Om Prakash

Gramin Vikas Mandal [GVM]		
Organized by	**Program**	**Participants**
MPVHA	Health Worker Convention	Gulab Sharnagat Yogeshwari Thakre
MPVHA	Trg. on Adolescent Health and Sexuality	Paras Katre
Sopan	Tribal Self Rule	Gulab Sharnagat
Samarthan	Pre Election Voter Awareness Campaign	Gulab Sharnagat

Shri Mahavir Shiksha Evam Jan Kalyan Samiti [SMS]		
Organized by	**Program**	**Participants**
Sopan	Tribal Self Rule	Suresh Kasar
MPVHA	Health Worker Convention	Shefali Singh
Sangini	Trg. on Gender and Women	Shefali Singh
Samarthan	Pre Election Votter Awareness Campaign	Suresh Kasar

Navjivan Samaj Vikas Samiti [Navjivan]		
Organized by	**Program**	**Participants**
Sangini	Trg on Gender and Women	Kanta Puri
Samarthan	Pre Election Voter Awareness Campaign	Utkal Nanda
Sopan	Tribal Self Rule	Utkal Nanda

''ग्राम भंडेरी में स्थित ग्रामीण सूचना केंद्र का उद्घाटन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बैहर के शाखा प्रबंधक और भंडेरी पंचायत के सरपंच''

परियोजना की मासिक गतिविधियों का क्रियान्वयन

माह	सी.डी.सी.	नवजीवन	जी.व्ही.एम.	एस.एम.एस
अप्रेल मई जून	▪ समन्वयक बैठकें ▪ ग्राम सर्वेक्षण ▪ स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क ▪ परियोजना क्षेत्र अध्ययन ▪ कार्यकर्त्ता चयन और नियुक्तियॉ ▪ क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना ▪ कार्यकर्त्ताओं का उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन			
जुलाई	▪ कार्यकर्त्ताओं द्वारा समुदाय से संबंध एवं संपर्क	▪ कार्यकर्त्ताओं द्वारा समुदाय से संबंध ▪ पहले स्वयं सहायता समूह का गठन	▪ कार्यकर्त्ताओं द्वारा समुदाय से संबंध ▪ पहले स्वयं सहायता समूह का गठन	▪ कार्यकर्त्ताओं द्वारा समुदाय से संबंध एवं संपर्क
अगस्त	▪ पहले स्वयं सहायता समूह का गठन ▪ परियोजना स्टाफ के लिये स्वयं सहायता समूहों के गठन और प्रबंधन पर कार्यशाला	▪ समूह गठन एवं सशक्तिकरण ▪ परियोजना स्टाफ के लिये स्वयं सहायता समूहों के गठन और प्रबंधन पर कार्यशाला	▪ समूह गठन एवं सशक्तिकरण ▪ परियोजना स्टाफ के लिये स्वयं सहायता समूहों के गठन और प्रबंधन पर कार्यशाला	▪ पहले स्वयं सहायता समूह का गठन ▪ परियोजना स्टाफ के लिये स्वयं सहायता समूहों के गठन और प्रबंधन पर कार्यशाला
सितंबर	समूह गठन एवं सशक्तिकरण	समूह गठन एवं सशक्तिकरण	समूह गठन एवं सशक्तिकरण	समूह गठन एवं सशक्तिकरण
अक्टूबर	समूह गठन एवं सशक्तिकरण	समूह गठन एवं सशक्तिकरण	समूह गठन एवं सशक्तिकरण	समूह गठन एवं सशक्तिकरण
नवंबर	▪ सूचना केंद्र की स्थापना की पहल ▪ समूह गठन एवं सशक्तिकरण	समूह गठन एवं सशक्तिकरण	समूह गठन एवं सशक्तिकरण	▪ सूचना केंद्र की स्थापना की पहल ▪ समूह गठन एवं सशक्तिकरण
दिसंबर	समूह की 4 महिलाओं का एक्सपोजर भ्रमण सोपान सिवनी के कार्यक्षेत्र में	समूह की 4 महिलाओं का एक्सपोजर भ्रमण सोपान सिवनी के कार्यक्षेत्र में	समूह की 4 महिलाओं का एक्सपोजर भ्रमण सोपान सिवनी के कार्यक्षेत्र में	समूह की 4 महिलाओं का एक्सपोजर भ्रमण सोपान सिवनी के कार्यक्षेत्र में
जनवरी	▪ बैंक में समूहों का खाता खोलना	▪ बैंक में समूहों का खाता खोलना	▪ बैंक में समूहों का खाता खोलना	▪ बैंक में समूहों का खाता खोलना
फरवरी	▪ समूह की महिलाओं को बैंक भ्रमण ▪ समूहों को खाता प्रबंधन ▪ समूहों में मासिक बैठकें ▪ मील पर चार दिवसीय कार्यशाला	▪ समूहों में मासिक बैठकें ▪ मील पर चार दिवसीय कार्यशाला	▪ समूहों में मासिक बैठकें ▪ मील पर चार दिवसीय कार्यशाला	▪ समूह की महिलाओं को बैंक भ्रमण ▪ समूहों को खाता प्रबंधन ▪ समूहों में मासिक बैठकें ▪ मील पर चार दिवसीय कार्यशाला
मार्च	▪ 10 समूहों को रिवॉल्विंग फंड का वितरण ▪ महिला दिवस का आयोजन ▪ कुल 28 समूहों का गठन	▪ 10 समूहों को रिवॉल्विंग फंड का वितरण ▪ कुल 28 समूहों का गठन	▪ 06 समूहों को रिवॉल्विंग फंड का वितरण ▪ कुल 18 समूहों का गठन	▪ 10 समूहों को रिवॉल्विंग फंड का वितरण ▪ महिला दिवस का आयोजन ▪ कुल 20 समूहों का गठन

परियोजना क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठकों का विवरण

परियोजना में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से परिवर्तन का सपना देखा गया है जिसमें स्वयं सहायता समूहों के गठन और उसके पश्चात समूहों का सुदृढ़ीकरण एक निरंतर चलने वाली गतिविधि है। समूहों के सशक्तिकरण के लिये समूहों की निरंतर बैठकें महत्वपूर्ण माध्यम है। महिलाएं पहली बार संगठित हो रही हैं अतः औपचारिक रूप से समूहों के गठन के पश्चात समूह सदस्यों को बैठकों के आयोजन के बारे में सिखाना, बैठकों का संचालन, बैठकों की कार्यवाही और बैठकों के मुद्दों को तय करना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। समूहों के गठन के बाद प्रति माह 2 से 3 बार एक समूह के साथ बैठकें तय की गयीं और एनीमेटर ने बैठकों का आयोजन किया।

ORGANIZATION	Number of Meetings Quartely								
	QTR - 1		QTR - 2		QTR - 3		QTR - 4		Total Meet.
	SHG	Meeting	SHG	Meet.	SHG	Meet.	SHG	Meet.	
CDC	0	0	8	24	17	48	22	54	126
SMS	0	0	10	30	16	40	18	42	112
Navjivan	0	0	12	24	15	30	23	56	110
GVM	0	0	12	30	21	74	30	90	194
Total	0	0	42	108	69	192	93	242	542

Review Meeting
समीक्षा बैठकें

परियोजना की प्रगति की समीक्षा और नियोजन के लिये संस्थागत व्यवस्थाएं बनायी गयी हैं जैसे किसी संस्था में प्रति सप्ताह अपने स्टॉफ के साथ बैठकें होती हैं और किसी संस्था में एक माह में दो बैठकों का आयोजन किया जाता है। सामान्यतः समन्वयक द्वारा इन बैठकों का संचालन होता है। समन्वयक की अनुपस्थिति में किसी एनीमेटर द्वारा बैठकें संचालित होती हैं या संस्थागत व्यवस्था के अनुसार बैठकों का संचालन होता है। संस्थागत बैठकों में प्रमुख रूप से निम्न कार्य होते हैं :–

- विगत माह के कार्य और उपलब्धियों का प्रस्तुतीकरण
- मासिक भ्रमण कार्यक्रम बनाना
- किसी एक विषय पर सत्र का आयोजन करना
- अनुभवों का आदान प्रदान करना
- प्रतिवेदन संकलन

परियोजना स्तर पर समीक्षा और नियोजन हेतु सामान्यतः तीन माह में एक बार सभी परियोजना स्टॉफ के लिये बैठक का आयोजन किया जाता है आवश्यकतानुसार बैठक दो माह में भी आयोजित की जाती हैं, इन समीक्षा बैठकों का आयोजन परियोजना समन्वयक द्वारा किया जाता है। इस बैठक में सभी परियोजना स्टाफ उपस्थित रहता है आवश्यकता पडने पर बैठक का आयोजन दो दिनों के लिये भी आयोजित की जाती है। इस बैठक में की जाने वाली गतिविधियॉ निम्न हैं :–

- समन्वयक द्वारा संस्थागत प्रगति का प्रस्तुतिकरण
- व्यक्तिगत कार्य प्रस्तुतिकरण
- प्रतिवेदन संकलन, केस, सफल प्रयास का संकलन
- अनुभवों का आदान प्रदान
- परियोजना का वित्तीय प्रस्तुतीकरण
- आगामी त्रैमासिक कार्ययोजना निर्माण
- किसी विषय पर सत्र का आयोजन

Months	Joint Meetings	In House Meetings at Partner Level			
		CDC	SMS	GVM	NAVJIVAN
1st April	▪ Meeting with coordinators ▪ Meeting with Project Staff	0	0	0	0
May	Meeting with coordinators	2	0	1	0
June	Meeting with coordinators	4	2	1	1
July	--	4	4	3	2
Aug	--	2	2	3	1
Sept	Meeting with coordinators	2	2	4	2
Oct	Meeting with coordinators	2	3	4	2
Nov	--	2	2	4	1
Dec	Meeting with coordinators	1	2	4	2
Jan	--	3	2	4	2
Feb	--	1	2	4	2
March	Meeting with Project Staff	2	1	4	2

Monotoring Evaluation and Learning [MEAL]
Workshop and Implementation
परियोजना निगहबानी, मूल्यांकन एवं सीख
कार्यशाला एवं कियान्वयन

पेक्स कार्यक्रम की ओर से परियोजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिये ''मील'' पद्धति का विकास किया गया है जिसमें परियोजना क्रियान्वयन करने वाली संस्थाएं अपने कार्यक्रमों का स्वयं मूल्यांकन और निगरानी करें जिसके फलस्वरूप निकली सीख से परियोजना क्रियान्वयन की दिशा और रणनीति तय कर सकें। इस पद्धति का प्रमुख लाभ है कि संस्थाएं स्वयं अपने कार्य का मूल्यांकन करें और यदि परियोजना सही दिशा में ना जा रही हो तो रणनीति में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है।

परियोजना के लिये दिनांक 24 से 28 जनवरी 2004 तक हीरावत होटल, बालाघाट में स्टेट मील समन्वयक द्वारा चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें परियोजना के लिये मील पद्धति विकसित की गयी और परियोजना के वर्तमान स्तर का आंकलन किया गया। इस कार्यशाला में सभी परियोजना स्टॉफ उपस्थित रहे थे इस तरह सामूहिक रूप से निगरानी, मूल्यांकन और सीख की पद्धति विकसित की गयी।

मील कार्यशाला में किये गये कार्य

- **प्रतिफल की पहचान** : सर्वप्रथम परियोजना के उद्देश्यों को सरलीकृत कर परियोजना के अंत में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं देखा गया जो निम्न रूप में सामने आये :–

  - कार्यक्षेत्र में स्व–सहायता समूह की महिलायें दबाव समूह के रूप में कार्य करने लगेगी।
  - महिलाओं में आत्मविष्वास बढ़ जायेगा।
  - महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जायेगा।
  - कुछ गॉव आदर्ष गॉव बन जायेगें।
  - संस्थाओं की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जायेगी।

- **पडाव की पहचान :** प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिये किन किन पडावों को तय करना पडेगा इसे तय किया गया। कुल 17 पडाव सामूहिक रूप से तय किये गये जो निम्न प्रकार हैं।

    - संस्था का नेटवर्क तैयार
    - प्रोजेक्ट स्वीकृति एवं राशि प्राप्त
    - अध्ययन रिपोर्ट तैयार
    - प्रशिक्षित टीम तैयार
    - संस्था एवं कार्यकर्ता की पहचान एवं संबंध
    - पहले समूह का गठन
    - समूह का बैंक से जुड़ाव
    - संस्था के वित्तीय प्रबंधन में सुधार
    - स्व–मील (निगरानी, मूल्यांकन, और सीख)
    - रिवाल्विंग फण्ड का वितरण
    - रिवाल्विंग फण्ड का सही प्रबंधन
    - आय सृजनात्मक गतिविधियों की शुरूआत
    - दबाव समूह के रूप में स्व–सहायता समूह की गतिविधि प्रारंभ
    - संस्था के दस्तावेजीकरण एवं प्रबंधन में सुधार
    - पहला आदर्श गॉव
    - फेडरेशन (महिला संघ)
    - संस्था की जिला स्तर पर पहचान / साख

- **सूचकों की पहचान :** प्रतिफलों और पडाव को प्राप्त कर लिया गया है इसका आंकलन कैसे किया जावेगा इस हेतु सूचक तय किये गये। इस तरह प्रतिफलों और पडावों के अलग अलग सूचक तय किये गये जो परियोजना के आंकलन में सहायक होंगे।

- **कार्यबिंदु :** प्रतिफलों और पडाव आंकलन सूचकों के माध्यम से तय किये गया। परियोजना किस स्तर पर है इसे देखने के लिये कुछ पडावों को देखा गया और आगामी समय में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिये क्या कार्य बिंदु होने चाहिए यह तय किया गया।

- **परियोजना को प्रभावित करने वाले कारक :** परियोजना को सकारात्मक और नकारात्मक तत्व प्रभावित करते हैं इस पर चर्चा की गयी और उन तत्वों को निकाला गया।

- **प्रतिवेदन :** प्रतिफल, पडाव और सूचकों के आधार पर हम कैसे अपनी परियोजना को प्रतिवेदन के स्वरूप में देख सकते है इस आधार पर कुछ प्रपत्र विकसित किये गये जिन्हें परियोजना प्रतिवेदन के रूप में नियमित रूप से संकलित करना होगा जो संस्था के लिये सहायक होगे और डी.ए. को भेजना होगा।

    - Process Reflection [Yearly] (संलग्नक क्र. 05)
    - Output tracking [Qartely] (संलग्नक क्र. 06)
    - Input activity [Quartely] (संलग्नक क्र. 07)
    - Success story, Case study etc. [Regular] (संलग्नक क्र. 08)

Exposure for SHG Leaders

स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिये एक्सपोजर

महिलाओं को संगठित करने के पश्चात यह आवश्यक था कि उनकी क्षमता वृद्धि विभिन्न माध्यमों से की जावे इसमें एक्पोजर भ्रमण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः परियोजना के माध्यम से समूह की महिलाओं को जिले के बाहर चल रहे स्वयं सेवी प्रयासों को दिखाने के लिये महिलाओं के लिये भ्रमण का आयोजन किया गया जो कि काफी प्रभावी रहा और पहली बार महिलाओं को बाहर जाकर महिलाओं द्वारा किये जा रहे संगठित प्रयासों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ।

MONTH	Place & Org.	Partner	No. of Women's
November	Seoni Badalpar - [SOPAN]	CDC	4 + 1 Animator
		SMS	4
		Navjivan	4
		GVM	4 + 1 Animator
10 - 12 feb 2005	Seoni - Lakhnadoun	GVM	2 + 1 Animator
		CDC	2
		SMS	2
		Navjivan	2 + 1 Animator

Revolving Fund for SHG
स्वयं सहायता समूहों के लिये चक्रीय कोष

परियोजना में गठित होने वाले स्वयं सहायता समूहों में से 120 समूहों को रू.2000 प्रति समूह रिवाल्विग फंड देने का प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 40 स्वयं सहायता समूहों को रू. 2000 प्रति समूह को रिवाल्विग फंड देना था। मार्च 2005 में 36 समूहों को रिवाल्विग फंड दिया गया चूंकि परियोजना में मील कार्यशाला में किये गये व्यय का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त नहीं हो पाया था।

रिवाल्विग फंड देने का उद्देश्य

रिवाल्विग फंड देने के लिये प्रत्येक स्तर पर इसका उददेश्य स्पष्ट किया गया कि क्यों यह सहयोग दिया जा रहा है विशेष रूप से समूहों के प्रत्येक सदस्य में यह स्पष्ट होना आवश्यक था जो कि परियोजना में बताये गये :–

- रिवाल्विग फंड समूहों में कुछ सामूहिक गतिविधियों का आयोजन करना जो आय सृजनात्मक हों।
- समूहों में आपस में सामूहिक गतिविधियों का अनुभव दिलाना।
- समूहों के सदस्यों की प्रबंधन क्षमता में वृद्धि करना।
- आय सृजनात्मक गतिविधियों के आयोजन का अनुभव दिलाना।
- बैंक से संबंध बढ़ाना तथा बडे स्तर पर रोजगार के लिये तैयार करना।
- स्थानीय साहूकारों से ऋण को हतोत्साहित करना।

उपरोक्त कुछ बिंदु हैं जिन पर स्पष्टता बनाकर ही रिवाल्विग फंड का वितरण समूहों के बीच में किया गया।

रिवाल्विग फंड वितरण की प्रकिया

परियोजना द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ रिवाल्विग फंड का वितरण समूहों के बीच में किया गया और प्रयास यह किया गया कि सभी सदस्यों को इसकी जानकारी हो और उनकी पहले से तैयारी हो, सभी समूहों को बैंक के माध्यम से रिवाल्विग फंड का वितरण किया गया। परियोजना स्तर पर समूहों के चयन के कुछ मोटे मापदंड तय किये गये थे जिनके आधार पर ही चयनित समूहों को रिवाल्विग फंड प्रदान किया गया।

समूह चयन के मापदंड

- समूह कम से कम 6 माह पूर्व गठित किये गये हों।
- समूह के पास कम से कम रू. 1500 से 2000 तक की बचत राशि हो।
- समूह की बैठकों में निरंतरता हो।
- समूह के पास प्रारंभिक दस्तावेज हों ।
- समूह के पास रिवाल्विग फंड के प्रयोग की पूर्व निर्धारित योजना हो।
- समूह रिवाल्विग फंड को निरंतर चक्रीय राशि के रूप में प्रयोग करते रहेगा।
- समूह एक मांग पत्र देगा और उस समूह का गठन करने वाले एनीमेटर की ओर से समूह को रिवाल्विग फंड दिये जाने की सहमति हो।

इन कुछ मापदंडों के आधार पर समूहों को रिवाल्विग फंड उपलब्ध कराया गया। सभी सहभागी संस्थाओं ने अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रिवाल्विग फंड समूह को उपलब्ध कराया।

स्चयं सहायता समूहों का विवरण जिन्हें रिवाल्विग फंड उपलब्ध कराया गया

SN	Name of SHG	Village	Panchayat	ORGANIZAION
1	Saraswati	Sukdi	Sukdi	Gramin Vikas Mandal
2	Shanti	Sukdi	Sukdi	
3	Parwati	Khapakheda	Sukdi	
4	Indira	Lotmara	Ghodadehi	
5	Laxmi	Ghodadehi	Ghodadehi	
6	Aarti	Ghodadehi	Ghodadehi	
7	Durga	Badgaon	Badgaon	
8	Jagdamba	Dorli	Badgaon	
9	Shanti	Badgaon	Badgaon	
10	Sakshi	Dorli	Badgaon	
11	Bhumiya	Jhalkutola	Rupjhar	Navjivan Samaj Vikas Samiti
12	Parwati	Pindepar	Rupjhar	
13	Deepak	Godri	Jagantola	
14	Chetna	Pateltola	Jagantola	
15	Sahara	Jhalkutola	Rupjhar	
16	Baiga	Lagma	Jagantola	
17	Saraswati	Jaamtola	Kinarda	Community Development Centre *AND* Shri Mahavir Shiksha Evam Jan Kalyan Samiti
18	Fulwari	Saraitola	Kinarda	
19	Laxmi	Jaamtola	Kinarda	
20	Jai Seeta Maa	Chartola	Mendki	
21	Durga	Mendki	Mendki	
22	Sagar	Thakurtola	Mendki	
23	Maa laxmi	Mendki	Mendki	
24	Sharda	Thakurtola	Mendki	
25	Khairomata	Bhanderi	Bhanderi	
26	Krishna	Debarbeli	Mendki	
27	Anjani	barwahi	Karwahi	
28	Vaibhav	Barwahi	Karwahi	
29	Maa Durge	Mararitola	Karwahi	
30	Laxmi	Buddhutola	karwahi	
31	Mahakoushal	Mararitola	Karwahi	
32	Santoshi	Jatta	Jatta	
33	Mahila Jagriti	Gogatola	Parsatola	
34	Henna	Jattatola	Jatta	
35	Durgawati	Gogatola	Parsatola	
36	Gouri	Parsatola	Parsatola	

Stationary for SHG
समूहों के लिये स्टेशनरी

परियोजना की ओर से समूहों को अपने बेहतर दस्तावेजीकरण के लिये काफी स्टेशनरी और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करायी गयीं जिससे कि समूह अपने आप में पूर्ण रूप से समर्थ हो सकें उनके आपस का लेन देन पारदर्शी हो और प्रत्येक सदस्य अपने आप को समूह का एक सम्मानीय सदस्य माने।
परियोजना द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्टेशनरी :

- रजिस्टर (प्रत्येक समूह को 2)
- व्यक्तिगत पासबुक
- समूह की सील
- बचत के लिये बॉक्स
- सील पेड आदि

परियोजना द्वारा प्रदान की गयी इन वस्तुओं के बेहतर प्रयोग के लिये एनीमेटर समूह के सदस्यों को बैठकों और प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी क्षमता वृद्धि के प्रयास कर रहे हैं।

परियोजना क्षेत्र में अन्य कार्यक्रम

परियोजना के अंतर्गत नियमित गतिविधियों के अलावा संस्थाओं द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया, इस तरह की अन्य गतिविधियॉ निश्चित रूप से परियोजना के प्रतिफलों की प्राप्ति में सहयोगी होती हैं। चूंकि परियोजना में अन्य गतिविधियों के आयोजन का प्रावधान नहीं है पर सहायक गतिविधियों ने स्वास्थ्य, अधिकार और लैंगिक समानता पर समुदाय में जागरूकता बढाने का कार्य किया।

संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्य सहायक गतिविधियॉ

Community Development Centre [CDC&SMS]			
Programme	Village Covered	No. of Participants	Supported By
Trg. for Adolescent girls	3	60 Adolescent girls	MPVHA
Awareness Campaign on Soil & Water conservation	21	160 Women 130 Students	EPCO - Bhopal
Women Day Celebration	21	200 Women	CDC
Pre Election Voter Awarness Campaign	21	Community membrs	Samarthan, CASA
Trg. for Panchayat Representatives	02 Panchayat	40 Elected representatives	INHP Project of CDC

Gramin Vikas Mandal			
Programme	Village Covered	No. of Participants	Supported By
Trg. for Adolescent girls	01	30 Adolescent girls	MPVHA
Awareness Campaign on Soil & Water conservation	05	Women, Farmers and Community	EPCO - Bhopal
Pre Election Voter Awarness Campaign	3 Panchayat	Community membrs	Samarthan, CDC

Navjivan Samaj Vikas Samiti			
Programme	Village Covered	No. of Participants	Supported By
Pre Election Voter Awarness Campaign	3 Panchayat	Community membrs	Samarthan, CDC

Pre Election Voter Awareness Campaign [PEVAC]

पंचायत चुनाव पूर्व मतदाता जागरूकता अभियान

मध्यप्रदेश में तीसरी बार पंचायत के चुनाव जनवरी 2005 में सम्पन्न हुए और संस्थाओं के लिये यह एक अवसर था कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने में समुदाय को जागरूक करे कि वे अपने लिये संवेदनशील प्रतिनिधियों को चुनें ताकि गॉवों का विकास हो सके, सी.डी.सी. ने इस अवसर का लाभ दिलाने हेतु पहल की और बालाघाट जिले में पूरे अभियान का सफलतापूर्वक संचालन सहयोगी संस्थाओं के साथ किया। पेक्स परियोजना क्षेत्र में अधिक प्रभावी रूप से अभियान को संचालित किया गया, इस अभियान में सर्मथन और कासा से काफी मात्रा में प्रचार प्रसार सामग्री सी.डी.सी. के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी। इस अभियान का काफी प्रभाव पडा जिसे विभिन्न केस स्टडी /सफल प्रयासों के माध्यम से देखा जा सकता है।

इस अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे

- चुनाव के लिये उम्मीदवार कैसे बने
- चुनाव कैसे आयोजित होता है
- आरक्षण प्रक्रिया / महिलाओं के लिये आरक्षण व्यवस्था
- मतपत्रों के प्रकार और मत डालने के तरीके
- प्रतिनिधि कैसा हो
- मतगणना कैसे होती है आदि

इन सभी विषयों पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से समुदाय में जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया।

परियोजना की उपलब्धियॉ

विगत एक वर्ष में परियोजना की गुणात्मक और संख्यात्मक उपलब्धियॉ निम्नानुसार हैं।

- आजीविका एवं ऋणग्रस्तता पर अध्ययन प्रतिवेदन।
- 54 स्वयं सहायता समूहों का गठन।
- लगभग 500 घरों तक पॅहुच।
- 60 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों की महिलाओं तक पंहुच।
- क्षेत्र में पहली बार सामूदायिक संगठन पर कार्य।
- जागरूकता वृद्धि पर कार्य।
- संस्थाओं का समुदाय से संपर्क।
- संस्थाओं में कार्यरत स्टाफ की क्षमता में वृद्धि।
- संस्थाओं के पास कार्यों के निगरानी और मूल्यांकन पर एक बेहतर पद्धति।

परियोजना में समुदाय के कुछ प्रयास

चुनौतियॉ

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना करना पडा जिन्हें निम्नलिखित रूप में देखा जा सकता है।

- स्वयं सहायता समूहों पर पूर्ववर्ती तथाकथित संस्थाओं और शासकीय विभागों के कार्य से समुदाय में अविश्वास की स्थिति।
- स्वयं सहायता समूहों का बार बार टूटना।
- बैगा आदिवासियों को समूह में जोडना अपने आप में एक चुनौती पूर्ण कार्य है, क्योंकि आज तक क्षेत्र में बैगाओं का समूह नहीं बना।
- शासकीय प्रेरकों द्वारा संस्था के विरोध में दुष्प्रचार क्योंकि संस्थाओं द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ समूह बनाने से प्रेरकों के लक्ष्य आधारित कार्य प्रभावित हुए जिससे उन्हें प्राप्त होने वाली राशि में कमी आयी।
- विभिन्न विभागों द्वारा बनाये गये समूह जिनका उद्देश्य केवल शासकीय राशि प्राप्त करना रहा।
- अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दुष्प्रचार जो कथित रूप से क्षेत्र में कार्यरत है।
- बैंक का असहयोग।

सहयोगी या सकारात्मक पक्ष

परियोजना क्रियान्वयन में विभिन्न चुनौतियों के साथ साथ कुछ सकारात्मक पहलू हैं जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परियोजना के हित में लाभ प्राप्त होता रहता है, जैसे :–

- स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि,
- महिलाओं का संगठित होने में उत्साह दिखाना,
- शासकीय कर्मचारी जो ग्रामीण स्तर पर कार्यरत हैं और जिनके कार्यों के लिये समूहों की आवश्यकता है,
- स्थानीय शालाएं और शिक्षक, आंगनवाडी कार्यकर्त्ता
- कम्युनिटी डेव्हलपमेंट सेंटर द्वारा क्रियान्वित की जा रही ''समन्वित पोषण और स्वास्थ्य परियोजना'' जिसके माध्यम से कुछ गॉवों में महिला और बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग से बेहतर समन्वय बन सका।

Monitoring Information System [MIS]

परियोजना में निगरानी और सूचना पद्धति

परियोजना में सहभागी संस्थाओं का अपनी–अपनी रिर्पोटिंग प्रकिया और पद्धति है जो आंतरिक स्तर पर की जाती है। परियोजना स्तर पर कुछ प्रकियाएं हैं जिसे सभी संस्थाओं पर लागू किया गया है। मासिक आधार पर परियोजना के लिये कुछ रिर्पोट संकलित की जाती है और उसका आंकलन कर आगामी रणनीति बनायी जाती है। मील लागू करने के बाद भी परियोजना स्तर पर कुछ प्रतिवेदन मासिक आधार पर जमा किये जाते हैं। प्रतिवेदन प्रपत्रों का निर्माण सामूहिक रूप से किया गया है साथ ही यह भी है कि प्रपत्रों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकता है। परियोजना में निगरानी और मूल्यांकन के लिये प्रयोग किये जाने वाले प्रपत्र :–

- मासिक भ्रमण प्रपत्र [Monthly Visit Plan Form] (संलग्नक क. 09)
- मासिक कार्ययोजना सह कार्यनिष्पादन प्रपत्र [Action Plan -Reproting form] (संलग्नक क. 10)
- स्वयं सहायता समूह मासिक वित्तीय जानकारी [GFS - 1] (संलग्नक क.11)
- स्टाफ बैठक रजिस्टर
- उपस्थिति रजिस्टर

Financial Management for Project
परियोजना का वित्तीय प्रबंधन

किसी भी परियोजना का में परियोजना का वित्तीय पक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समय पर परियोजना की राशि का प्राप्त होना और व्यवस्थित रूप से राशि का प्रबंधन, व्यय के तरीके और गतिविधियों के आधार पर तय समय सीमा में व्यय करना यह सब प्रबंधन का हिस्सा है। डेव्हलपमेंट अल्टरनेटिव्स द्वारा वित्तीय प्रबंधन पर तय मार्गदर्शिका के आधार पर ही परियोजना में वित्तीय प्रबंधन किया जाता है। वित्तीय प्रबंधन यदि सही हो तो परियोजना की गतिविधियों के क्रियान्वयन में परेशानी का सामना नहीं करना पडता।
यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है इसमें चुनौती और बढ़ जाती हैं जब परियोजना नेटवर्क के रूप में हो, किसी समस्या का सामना करना पडे या विवाद पैदा हों अतः सभी संस्थाओं की सहमति से वित्तीय प्रबंधन हेतु नियम बनाये गये हैं जिनका पालन सभी के द्वारा किया जाता है। परियोजना में वित्तीय प्रबंधन निम्न रूप में देखा जा सकता है :–

- दैनिक आधार पर केशबुक और लेजर का प्रबंधन किया जाता है।
- केशबुक का अद्यतन और व्यय नकद आधार [Cash Basis] पर किया जाता है।
- परियोजना स्टॉफ के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से खातों [BankTransfer] में किया जाता है।
- परियोजना की गतिविधियों आदि के आयोजन के लिये दिये जाने वाले अग्रिम की समय सीमा अधिकतम 1 माह है।
- बैंक से धनराशि आहरण के लिये Fund Requisition form भरा जाता है जिसे कम से कम दो सहयोगी संस्थाओं के समन्वयक द्वारा हस्ताक्षर कर जी.व्ही.एम. को सौंपा जाता है, जी.व्ही.एम. से चैक परियोजना लेखापाल को उपलब्ध कराया जाता है।
- समस्त व्यय जी.व्ही.एम. के नाम पर होते हैं किसी भी सहयोगी संस्था को फंड नहीं दिया जाता।
- समस्त व्यय परियोजना समन्वयक द्वारा पास किये जाने पर ही भुगतान किये जाते है।
- समय समय पर समन्वयक की बैठकों में व्यय विवरण प्रस्तुत किया जाता है।
- स्वीकृत राशि का उपयोग समय सीमा में तय गतिविधियों में तय बजट का व्यय किया जाता है।
- निर्धारित समय सीमा में परियोजना का वित्तीय प्रतिवेदन एम.सी. को भेजा जाता है।

वर्ष 2004 –05 का व्यय विवरण

Project Expenses Detail 01 April 04 to 31 March 05				
PARTICULARS	**BUDGETED**		**TOTAL**	**Actual**
Project Activities	**HY1**	**HY 2**		
Baseline study	25000		25000	24977
Exposure to chief functionary	12000		12000	11974
SHG training for staff	16600		16600	16454
MEAL Workshop				24479
Exposure to SHG women		16000	16000	15966
Revolving Fund		80000	80000	72000
Stationary for SHG		36000	36000	35706
Reviewing meeting	2400	2400	4800	4733
Animator Honorarium [12]	36000	72000	108000	108000
Sub Total	**92000**	**206400**	**298400**	**314289**
Honorarium				
Coordinator Honorarium [04]	84000	84000	168000	168000
Accountant Honorarium [01]	15000	15000	30000	30000
Sub Total	**99000**	**99000**	**198000**	**198000**
Administration				
Stationary	9600	9600	19200	14472
Communication	9600	9600	19200	12039
Travelling Alowance	24000	24000	48000	48000
Audit fee		4000	4000	
Sub Total	**43200**	**47200**	**90400**	**74511**
Grand Total	**234200**	**352600**	**586800**	**586800**
Fund Received from MC	**I st Ins.**	**II nd Ins.**	**Total**	**Receivable Amount**
	234200	**352600**	**586800**	**4000**

- एस.एस.आर.ओ द्वारा आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला का व्यय परियोजना में स्वीकृत नहीं था, राज्य प्रतिनिधि के निर्देशानुसार इस कार्यशाला का कुछ भाग अध्ययन और कुछ भाग संस्था प्रमुखों के एक्सपोजर में डाला गया।
- मील कार्यशाला का बजट परियोजना में नहीं दिया गया था पर वर्कशाप में किये गये व्यय को परियोजना बजट में स्टेट मील समन्वयक के निर्देश पर बुक किया गया।
- इस वित्तीय वर्ष में लेखा परीक्षण का व्यय शामिल नहीं है।
- मील कार्यशाला के रूप में अतिरिक्त व्यय हो जाने के कारण चार स्वयं सहायता समूहों को आर.एफ. मार्च में नहीं दिया जा सका।

Future Plan
आगामी वर्षो के लिये प्राथमिकताएं

परियोजना की बाकी अवधि में कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हैं परियोजना स्तर पर निम्न कार्यों पर प्राथमिकता के कार्य किया जाना है।

- स्वयं सहायता समूह की संख्या में वृद्धि जिसमें सभी कमजोर वर्ग / परिवारों को जोडना।
- परियोजना के चार ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना।
- अधिक से अधिक समूहों को शासकीय योजनाओं से जोडना।
- महिलाओं का संध बनाकर स्थानीय मुददों पर पैरवी की तैयारी।
- आजीविका सुरक्षा और ऋणग्रस्तता पर सामूहिक नियोजन करना।
- कार्यरत स्टाफ की क्षमता वृद्धि के अवसरों का लाभ लेना।

Expectation from [PACS] Programme
पेक्स से अपेक्षाएं

- मील के पश्चात तय आवश्यक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिये अनुपूरक राशि की स्वीकृति।
- माइक्रो फाइनेंस, आय सृजनात्मक कार्यक्रमों पर स्टॉफ का प्रशिक्षण।
- स्वयं सहायता समूह की मासिक प्रगति के अघतन के लिये Software।